# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 05/ 2020
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2020/46

| प्रार्थी/अपीलार्थी :– | | अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:– |
|---|---|---|
| श्रीमती सविया पत्नि बापुलाल मकवाना जाति भील निवासी धामनिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा। | बनाम | 1. श्री कचरु पिता भगवान जी मालीवाल जाति भील निवासी लोधा, हाल मु. हिराबाग कोलोनी, बॉसवाडा<br>2. नरसिंग पिता दलजी भील निवासी पिपलोद तहसील व जिला बॉसवाडा<br>3. भूमिधारी तहसीलदार बॉसवाडा |

उपस्थित

| | |
|---|---|
| श्री यशपाल गुप्ता, एडवोकेट | श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित एड्वोकेट<br>श्री तसलीम एहमद एड्वोकेट<br>तहसीलदार तहसील बॉसवाडा |

## निर्णय

### अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 24.08.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट श्रीमति सविया पत्नि बापुलाल मकवाना निवासी धामनिया ने रेस्पांडेंट न. 2 श्री नरसिंग पिता दलजी निवासी पिपलोद से ग्राम पिपलोद खाता सं. 7 आराजी नंबर 632/78 रकबा 4.12 बिघा व आराजी नंबर 64/1 रकबा 2.08 बिघा कुल खेत 2 कुल रकबा 7.00 बिघा पंजीकृत दस्तावेज से दिनांक 17.10.2014 को क्रय किया। अपीलांट के अनुसार दिनांक 05.12.2014 को [illegible] द्वारा षडयंत्र पूर्वक रेस्पोडेंट सं. 2 श्री नरसिंग पिता दलजी से रेस्पो[illegible] श्री कचरु पि[illegible] भगवान मालीवाल निवासी लोधा के नाम खाता सं.7 आ.नं. 632/78 [illegible] 2 भाग 46/92 (रकब[illegible] बिघा) पंजीयन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा पुनः रजिस्टर्ड करवा ली। दिनाक 02.01.2015 को पुलिस थाना सदर में कचरु पिता भगवान जी से एक लिखित रिर्पोट पेश करवाई गई कि नरसिंग पिता दलजी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

इकरार नामा दिनांक 21.12.2013 के विरुद्ध श्रीमती सविया पत्नी बापुलाल को भूमि पूर्व में विक्रय कर दी। जिस पर प्रकरण सं. 84/2015 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 भा.दं.सं. अन्तर्गत न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा में दर्ज होकर जरिये राजीनामा से निर्णित हुआ है जिसमें स्वयं श्री कचरु ने दिनांक 08.08.2019 को बयान किये जिसके आधार पर रेस्पोडेंट सं. 2 को दोष मुक्त किया गया है। अपीलांट द्वारा यह अपील पूर्व में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पश्चात्वृति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर प्रभावी होगा के आधार पर अपीलांट श्रीमती सविया पिता बापुलाल मकवाना ने तहसीलदार बॉसवाडा के नामांतरकरण सं. 926 दिनांक 18.04.2015 ग्राम पिपलोद प.मं.लोधा खाता सं.7 आ.नं. 632/78 रकबा 4.12 बिघा का 1/2 भाग 46/92 (रकबा 2.06 बिघा) रेस्पोडेंट सं. 1 श्री कचरु पिता भगवान जी के नाम निरस्त कर अपीलांट श्रीमती सविया पत्नि बापुलाल के नाम नामान्तरकरण दर्ज कराने आदेश पारित करने निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोण्डेण्टस् को समन जारी किये गए। दिनांक 16.10.2020 को रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री तसलीम अहमद का वकालत नामा पेश हुआ। रेस्पोडेंट सं. 1 बावजुद नोटिस तामील दिनांक 21.12.2020, 08.01.2021 को अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गए। दिनांक 18.01.2021 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिविष्णु पुरोहित एवं श्री जयेन्द्र कुमार पुरोहित का वकालत नामा एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर दिनांक 05.03.2021 को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रकरण की प्रकृति एवं परिस्थिति को देखते हुए रेस्पोडेंट सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश द्विपक्षीय किया गया। दिनांक 16.07.2021 को रेस्पोडेंट सं. 3 तहसीलदार तहसील बॉसवाडा की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:18 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 02.08.2021 को उभयपक्षीय [illegible] गई। अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए बहस में [illegible] किया गया कि श्री[illegible] सविया पत्नि बापुलाल मकवाना निवासी धामनिया ने रेस्पोडेंट नं. 2 श्री [illegible] पिपलोद से ग्राम पिपलोद खाता सं. 7 आराजी नंबर 632/78 रकबा 4.12 बिघा व आराजी नंबर 64/1 रकबा 2.08 बिघा कुल खेत 2 कुल रकबा 7.00 बिघा पंजीकृत दस्तावेज से दिनांक 17.10.2014 को क्रय किया। दिनांक 05.12.2014 को

जिला कलक्टर

अन्य व्यक्ति श्री राम प्रसाद मुन्दडा द्वारा षडयंत्र पूर्वक अन्य पंजीयन के दस्तावेजो के साथ रेस्पोडेंट सं. 2 श्री नरसिंग पिता दलजी से रेस्पोडेंट सं.1 श्री कचरु पिता श्री भगवान मालीवाल निवासी लोधा के नाम खाता सं.7 आ.नं. 632/78 रकबा 4.12 बिघा का 1/2 भाग 46/92 (रकबा 2.06 बिघा) पंजीयन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा पुनः रजिस्टर्ड करवा ली। दिनांक 02.01.2015 को पुलिस थाना सदर में कचरु पिता भगवान जी से एक लिखित रिर्पोट पेश करवाई गई कि नरसिंग पिता दलजी ने इकरार नामा दिनांक 21.12.2013 के विरुद्ध श्रीमती सविया पत्नी बापुलाल को भूमि पूर्व में विक्रय कर दी। जिस पर प्रकरण सं. 84/2015 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 भा.दं.सं. अन्तर्गत न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा में दर्ज होकर जरिये राजीनामा से निर्णित हुआ है जिसमें स्वयं श्री कचरु ने दिनांक 08.08.2019 को बयान किये जिसके आधार पर रेस्पोडेंट सं. 2 को दोष मुक्त किया गया है।यह अपील पूर्व में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पश्चात्वृति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर प्रभावी होगा के आधार पर अपीलांट श्रीमती सविया पिता बापुलाल मकवाना ने तहसीलदार बॉसवाडा के नामांतरकरण सं. 926 दिनांक 18.04.2015 ग्राम पिपलोद प.मं.लोधा खाता सं.7 आ.नं. 632/78 रकबा 4.12 बिघा का 1/2 भाग 46/92 (रकबा 2.06 बिघा) रेस्पोडेंट सं. 1 श्री कचरु पिता भगवान जी के नाम निरस्त कर अपीलांट श्रीमती सविया पत्नि बापुलाल के नाम विक्रय पत्र दिनांक 17.10.2014 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज कराने आदेश पारित करने निवेदन किया है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये –

1. 2006 (1) आर.आर.टी 434 मंगनीराम बनाम कंकुबाई व अन्य
2. 2011–12 (Supp.) आर.आर.टी 498

वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि यह विलम्ब सद्भावनापूर्वक एवं वास्तविक है अपीलांट ने पटवारी एवं तहसीलदार से विक्रय पत्र दिनांक 17.10.2014 के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु कई बार निवेदन किया तब पटवारी एवं तहसीलदार [illegible] कहा गया कि जब तक न्यायालय से निर्णय नही आता तब तक अपीलांट के नाम नामान्तरकरण [illegible] खोला जायेगा। दिनांक 18.11.2019 को निर्णय आने के बाद दिनांक 22.[illegible] हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आप न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर नामान्तरकरण खोलना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि रेस्पोडेंट सं. 1 श्री कचरु पिता भगवानजी ने प्रश्नगत भूमि दिनांक 05.12.2014 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। जिसके आधार पर तहसीलदार तहसील बॉसवाडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 926 दिनांक 18.04.2015 दर्ज किया गया है। अपीलान्ट पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हुए नामान्तरकरण को निरस्त कराना चाहता है, जब तक पंजीकृत दस्तावेज निरस्त नही होता है तब तक नामान्तरकरण निरस्त करना विधि विरूद्ध है। पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने के कारण भी अपील निरस्त योग्य है। वर्तमान में उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट श्री कचरु का कब्जा है। साथ ही अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। दिनांक 06.08.2021 को अपने कथनो के समर्थन में आर.आर.डी 1993 पेज नं. 28, आर.आर.टी. 2004 पार्ट 1 पेज नं. 380 के कानूनी दृष्टांत भी प्रस्तुत किये। अपीलांट द्वारा 7 वर्षो के पश्चात् कालातीत एवं दीर्घ अवधि गुजरने के बाद यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि दिनांक 17.10.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि अपीलांट को बेचान की थी एवं कब्जा सुपूर्द किया था। तत्पश्चात अन्य व्यक्ति द्वारा षडयंत्र पूर्वक अन्य दस्तावेजो के साथ श्री कचरु पिता श्री भगवान मालीवाल निवासी लोधा के नाम पंजीयन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा दिनांक 05.12.2014 को पुनः रजिस्टर्ड करवा ली गई थी।

रेस्पोडेंट सं. 3 तहसीलदार तहसील बॉसवाडा द्वारा कथन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 926 दिनांक 18.04.2015 विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2014 के आधार पर नियमानुसार खोला जाकर स्वीकृत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:18 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनों पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने के विनिश्चय के पश्चात् उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। विवादित नामान्तरण संख्या 926 दिनांक 18.04.15 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की न तो जांच की है एवं न ही क्रेता एवं विक्रेता को सुना गया है। तात्कालिक समय में रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 को प्रश्नगत नामान्तरकरण खोलने से पूर्व सुना गया होता तो सम्भवतः इस प्रकार की त्रुटी नही होती। अधिनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनकर नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिये था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 135(2) के तहत बिना पक्षकारों को सुने नामान्तरकरण स्वीकृत करना उचित नहीं है। इसलिये तहसीलदार बांसवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 926 दिनांक 18.04.15 को निरस्त कर तहसीलदार बांसवाडा को पक्षकारों की सुनवाई कर नये सिरे से निर्णय करने आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.25 10:42:18 IST
Reason: SelfAttested